भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **1022**

(मंगलवार**, 28** जुलाई**, 2026/6** श्रावण**, 1948 (**शक) को उत्तर के लए)

असम में सीएसआर व्यय

1022 श्री जोगेन मोहनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने वगत तीन वर्षों के दौरान असम में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल वकास में उच्चतर सीएसआर निवेश को प्रोत्साहित करने का वचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वा र्षक **रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा** फाइल **करना होता है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा लागू सीएसआर नीति का** प्रकटन **करना होता है। कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और** तरीकों **से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रभाव को प्रमाणित करेगा। उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ऐसी कोई विशिष्ट समीक्षा नहीं की है।**

(ख**): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, 2022-23 से 2024-25 के दौरान असम में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में है।**

(ग) और (घ): जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में की गई कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों **की योजना बनाने,** उन पर **निर्णय लेने,** उन्हें **निष्पादित करने और** उन पर **निगरानी करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 135 (5) के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों को** प्राथ मकता **देगी जहां वह संचालित होती है।** तथा प**, स्थानीय क्षेत्र पर जोर प्रकृति में केवल** निर्देशात्मक **है और अनिवार्य नहीं है और कंपनियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ स्थानीय क्षेत्र** प्राथ मकता **को संतुलित करने की आवश्यकता है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में** व्यय **करने के लिए कारपोरेट**स् **को कोई निर्देश जारी नहीं करती है।**

अनुलग्नक

दिनांक 28.07.2026 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1022 के भाग (ख) से सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए असम में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

राशि (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	कृषि वानिकी	-	-	0.19
2	पशु कल्याण	0.25	1.34	2.91
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	0.00	0.03	0.03
4	कला और संस्कृति	3.14	0.78	5.75
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	3.86	1.54	8.68
6	शक्षा	106.09	84.30	82.58
7	पर्यावरणीय स्थिरता	41.20	27.65	80.08
8	लैंगिक समानता	0.10	5.71	3.56
9	स्वास्थ्य देखभाल	193.63	216.91	221.21
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	10.43	35.53	64.01
11	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	5.62	12.20	11.05
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	68.85	61.51	66.34
13	सुरक्षित पेयजल	2.41	0.46	0.94
14	स्वच्छता	4.89	6.22	5.07
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.32	0.66	0.31
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	0.04	0.03	0.02
17	अनाथालय की स्थापना	1.73	0.69	1.23
18	स्लम क्षेत्र विकास	0.22	0.10	0.20
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	0.06	0.20	0.13
20	विशेष शिक्षा	3.17	0.73	1.05
21	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	11.31	20.71	5.71
22	व्यावसायिक कौशल	7.94	16.45	26.78
23	महिला सशक्तिकरण	9.85	1.84	19.20
कुल		475.11	495.60	607.04

(31 मार्च, 2026 तक का अद्यतन डेटा) [स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]
